"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 अक्टूबर, 2002—कार्तिक 9, शक 1924

वन एवं संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-6/व.प.सं/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

   (2) यह नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे, जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी

जाएं. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगा.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) अधिकारी सम्बद्ध सेवा भरती नियम, 1987. (म. प्र. राजपत्र अधिसूचना क्रमांक-6930-एफ-4-3-85-दस-1, भोपाल, दि. 11-8-87)
2.	मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) अधिकारी सम्बद्ध सेवा भरती नियम, 1987. संशोधन-1997. (अधिसूचना क्रमांक-एक-2-35-90-दस-1, भोपाल, दिनांक 21-2-97).
3.	मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) अधिकारी सम्बद्ध सेवा भरती नियम, 1987. संशोधन-1998. (अधिसूचना क्रमांक-एफ-3-82-98-दस-1. भोपाल, दिनांक 22-7-98).
4.	मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) अधिकारी सम्बद्ध सेवा भरती नियम, 1987. संशोधन-1999. (अधिसूचना क्रमांक-एफ-2-88-96-10-1, भोपाल, दिनांक 9-6-99)
5.	मध्यप्रदेश इमारती लकड़ी तथा अन्य गौण उपज दर निर्धारण (विस्तारण) नियम, 1974.
6.	मध्यप्रदेश वनोपज के करारों का पुनरीक्षण नियम. 1987.
7.	स्थापित डिपो से इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, लकड़ी के कोयले की नीलामी में विक्रय की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम, 1989.
8.	मध्यप्रदेश वन संहिता-मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्र. फ/18/2/76/2/10 दिनांक 25 सितम्बर, 1976.
9.	मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1987.
10.	मध्यप्रदेश वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 31-1-75-111-1-दस दिनांक 31-5-1975 द्वारा मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1969 में संशोधन.
11.	मध्यप्रदेश वन वित्तीय नियम.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह म्हस्के, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 7-6/व.प.सं./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 7-6/व.प.सं./2001, दिनांक 31-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह म्हस्के, उप-सचिव.

Raipur, the 31st October 2002

NOTIFICATION

No. F 7-6/F.C./2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—.

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation Order, 2002.-
   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The Laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the new State of Chhattisgarh are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in the laws for the words "Madhya Pradesh", wherever they occur, the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rules, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	The Madhya Pradesh State Forest (Gazetted) Allied Service Recruitment Rules, 1987. (M. P. Gazette Notification No. 6930-F-4-3-85-X-1 Dated 11-8-1987)
2.	The Madhya Pradesh State Forest (Gazetted) Allied Service Recruitment Rules. 1987. Amendment-1997. (M. P. Gazette Notification No. F-2-35-90-X-1 Dated 21-2-97)
3.	The Madhya Pradesh State Forest (Gazetted) Allied Service Recruitment Rules, 1987. Amendment-1998. (M. P. Gazette Notification No. F-3-82-98-X-1 Dated 22-7-98)
4.	The Madhya Pradesh State Forest (Gazetted) Allied Service Recruitment Rules, 1987. Amendment-1999. (M. P. Gazette Notification No. F-2-88-96-X-1 Dated 9-6-1999)
5.	Madhya Pradesh Fixation of rates for Timber and other Minor Forest Produce (Extension) Rules, 1947.
6.	Madhya Pradesh Revision of Forest Produce Agreement Rules, 1987.

(1)	(2)
7.	Rules regulating the conditions of sale by auction of timber/fuel wood/charcoal from the Established Depots Rules, 1989.
8.	Madhya Pradesh Forest Manual-Madhya Pradesh Forest Department's Notification No. F/18/2/76/2/10 dated 25-9-1976.
9.	The Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam, 1987.
10.	Amendment of Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Niyamavali, 1969. Vide Govt. of M. P. Forest Department's Notification No. 31-1-75-111-1-X dated 31-5-1975.
11.	Madhya Pradesh Forest Financial Rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JAI SINGH MHASKEY, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.